बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

संoसंo–05 / स्थाo(डीoटीoओo)–30 / 2013......../ परिo   पटना, दिनांक.........

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–2889 दिनांक–24.02.2016 द्वारा श्री प्रीतेश्वर प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी का जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, पटना के पद पर स्थानांतरण कर दिये जाने के फलस्वरूप जिला अधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक–407 दिनांक–30.04.2016 द्वारा श्री चंदन चौहान, वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को वैकल्पिक व्यवस्था के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पद पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी द्वारा की गयी उक्त स्थानीय व्यवस्था के आलोक में श्री चंदन चौहान, बिoप्रoसेo, वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी को मोटरवाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा–3 में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

हo/–

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

निबंधित/ई–मेल ज्ञापांक – 05/स्थाo(डीoटीoओo)–30/2013 2822 पटना, दिनांक 13/6/16

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आईoटीo मैनेजर, कम्प्यूटर कोषांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/संयुक्त आयुक्त–सह–क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/श्री चंदन चौहान, वरीय उप समाहर्त्ता, सीतामढ़ी/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/मोटरयान निरीक्षक, सीतामढ़ी/प्रभारी सहायक, स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

F:\P\5.Docx....... 1100